

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक- 24/10/2019

विषय:- मौजा-पहाड़पुर, थाना-गांवा, थाना नं0-164, जिला-गिरिडीह पी0एफ0 में पहाड़पुर
स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु कुल-4.856 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध
में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना के संबंध में प्रधान मुख्य वन
संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-565 दिनांक-
21.05.2019, पत्रांक-813 दिनांक-16.07.2019 एवं पत्रांक-1103 दिनांक-07.09.2019 से प्राप्त मूल
प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

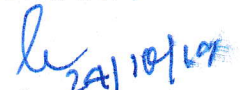
उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की
जाती है :-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के NPV का
भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि का हस्तान्तरण/Mutation वन विभाग के
पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता
अभिकरण द्वारा देय होगी।
- विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वनरोपण (10 वर्षीय
रख-रखाव सहित) की राशि देय होगी।
- सेफटीजोन के डेढ़ गुणा अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण
द्वारा देय होगी।
- सेफटीजोन के संरक्षण एवं संवर्द्धन की जिम्मेवारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
- अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-17/2019-

4149

व0प0, राँची दिनांक-24/10/2019

प्रतिलिपि- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली- 110003 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

h 24/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-17/2019-

4149

व0प0, राँची दिनांक-24/10/2019

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/निदेशक, जय बाबा पातालपुरी स्टोन माईन्स एण्ड क्रशर प्राईवेट लिमिटेड, पुरानी बाजार, पो0+थाना-नवादा, जिला-नवादा-805110 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

h 24/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

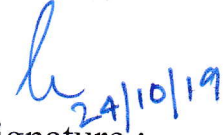
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 4.856 ha of Forest Land for Paharpur Stone Deposit in Giridih East Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 4.856 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 4149 dated-24/10/2019


Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(O.S.D)

Forest, Environment & Climate
Change Department

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 24/10/2019

Place : Ranchi

(Official Seal)